दिनांक 27.12.2017 को सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में आयोजित झारखण्ड राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सोसाईटी (JSWSMS) की कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही:

(I) उपस्थितिः–

1. श्रीमती आराधना पटनायक, सचिव सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, JSWSMS पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार।
2. श्री दिनेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव सह निदेशक, उपाध्यक्ष सह सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, JSWSMS, ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार।
3. श्री स्वेताभ कुमार, मुख्य अभियन्ता सह कार्यकारी निदेशक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार।
4. श्री रामाशंकर, उपसचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि।
5. श्री जागो चौधरी, अवर सचिव, योजना–सह वित्त विभाग के प्रतिनिधि, झारखण्ड सरकार।
6. श्री कुमार प्रेमचंद, Wash Specialist, यूनिसेफ के प्रतिनिधि, राँची, झारखण्ड।

(II) बैठक की कार्यवाहीः–

(i) संयुक्त सचिव सह निदेशक के द्वारा सर्वप्रथम बैठक में आये हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।

(ii) संयुक्त सचिव सह निदेशक के द्वारा सूचित किया गया कि कुल 10 सदस्यों में से 6 सदस्य इस बैठक में उपस्थित हैं, अतः इस बैठक का कोरम पूर्ण है।

(iii) बैठक में विभिन्न प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये गये, प्रस्तावों पर कार्यकारी समिति के द्वारा निम्न निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0–1 दिनांक 09.10.2017 को कार्यकारी समिति के बैठक की कार्यवाही की अनुपालन प्रतिवेदन।

मुख्य प्रस्ताव सं0	गत कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णय (09.10.2017)	अनुपालन	दिनांक 27.12.2017 के कार्यकारी समिति बैठक में लिये गये निर्णय
1 B	Baseline survey की समीक्षा के दौरान कार्यकारी समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि बैच–1 (MVS Scheme को छोड़ कर) के सभी ग्राम पंचायतों का Baseline survey पूर्ण कर लिया गया है तथा बैच–2 के ग्राम पंचायतों का कार्य पलामू जिला को छोड़कर अक्टूबर माह तक पूर्ण कर लिया जाए।	Baseline survey का कार्य बैच–1 एवं बैच–2 का पूर्ण कर लिया गया है।	कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि 15 जनवरी, 2018 तक बैच–2 के सभी MVS का DPR पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

1 C (ii)	खूँटी तथा गढ़वा जिला में अक्टूबर माह तक Community Organiser (CO) Hire. कर लिए जायेगें। अन्य जिलों में भी प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।	खूँटी जिला में 8 CO hired कर लिया गया है तथा गढ़वा जिला में interview की प्रकिया जारी है, दिनांक 05.1.2018 तक Hiring पूर्ण कर लिया जाएगा। दुमका एवं पूर्वी सिंहभूम में shortlisting प्रकिया चल रही है। पलामू में application submission deadline 3rd Jan 2017 तक है।	उक्त के संबंध में कार्यकारी समिति के द्वारा निदेशित किया गया कि सभी ग्राम पंचायतों में 15 जनवरी, 2018 तक Community Organiser की Hiring सुनिश्चित करें तथा निदेश दिया गया कि इस संबंध में एक पत्र विभागीय सचिव की तरफ से संबंधित जिलों के उपायुक्तों को भेजा जाय।
1 E (i) & (ii)	**Outsourcing Agency के माध्यम से SPMU में 5 Outsourced Supporting Staff को संविदा पर रखने के संबंध में।** (i) उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया गया था कि सर्वोच्च प्राथमिक्ता के आधार पर Homeguard को रखा जाय। (ii) अगर (i) के अनुरूप मैनपॉवर उपलब्ध नहीं है तो Outsourcing Agency से मैनपॉवर लिया जाय।	होमगार्ड द्वारा Sweeper को छोड़कर सभी मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में वर्तमान में स्वीपर के सबंध में निर्णय लेने की आवश्कता है।	उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान एजेंसी जिसके द्वारा Outsourced Perosn की आपूर्ति की जा रही है, उक्त ऐजेंसी को दो माह का Extension प्रदान करें। साथ ही इस अवधि में Outrsourcing Agency के चयन हेतु निविदा प्रकिया पूर्ण कर एजेंसी का चयन सुनिश्चित करें।
2	**नीर निर्मल परियोजना अन्तर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर विशेषज्ञों की संविदा आधारित नियुक्ति।**	जिला स्तरीय विशेषज्ञों की नियुक्ति पूर्ण कर ली गई है। अभ्यर्थियों द्वारा योगदान दिया जा रहा है। राज्य स्तरीय नियुक्ति प्रकिया पूर्ण कर ली गई है, नियुक्ति पत्र भेजा जाना है।	कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से चयनित एवं Wait listed अभ्यर्थियों की सूची एवं इनके चयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के Criteria जो तत्कालीन प्रधान सचिव के द्वारा संचिका में अनुमोदित किया गया है, उक्त पर कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
3	**नीर निर्मल परियोजना अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं की Techno-social Assessment ।**	जलापूर्ति योजनाओं की Techno Social Assessment कार्य हेतु TOR तैयार कर विश्व बैंक को NOC के लिए दिनांक 21.12.2017 को भेज दिया गया है। विश्व बैंक से NOC अप्राप्त है।	कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि यथाशीध्र ToR पर विश्व बैंक से NOC प्राप्त कर अग्रेतर कारवाई सुनिश्चित करें।
5(B)	**नीर निर्मल परियोजना अन्तर्गत राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई में Tribal Development Specialist** हेतु विश्व बैंक के ISM के दिनांक 5th और 6th जून 2014	चयन प्रकिया पूर्ण कर ली गई है, नियुक्ति पत्र दिया जाना है।	कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से चयनित एवं Wait listed अभ्यर्थियों की सूची एवं इनके चयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के Criteria जो

	के Aid Memoire में उल्लेखित किया गया था। इस आलोक में SPMU द्वारा TOR तैयार कर विश्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राप्त कर नियुक्ति की गयी थी तथा 17th नवम्बर 2014 को कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया था। परन्तु एक वर्ष के बाद Tribal Development Specialist द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया तब से यह पद रिक्त है। विभिन्न बैठकों एवं ISM (MRM Minutes Reference-No-W-11031/87/2015-Water, Dated-04.07.2017 and ISM Aug 2017) में उक्त पद को भरे जाने के लिए निदेश भी दिया गया है। अतः इस रिक्त पद को शीघ्र भरे जाने के लिए पूर्व की तरह सीधी अनुबंध आधारित नियुक्ति की कारवाई की जानी है। इसे कार्यकारी समिति को सूचनार्थ उपस्थापित किया जा रहा है। आवश्यक औपचारिकता यथा NPMU/World Bank की सहमति प्राप्त कर ली जाए।		तत्कालीन प्रधान सचिव के द्वारा संचिका में अनुमोदित किया गया है, उक्त पर कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
5(C)	**नीर निर्मल परियोजना अन्तर्गत राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई में Contract Management Specialist** का पद स्वीकृत नही है लेकिन बार–बार विश्व बैंक के द्वारा उक्त पद पर मानव बल रखने की बात ISM व विभिन्न बैठकों (MRM Minutes Reference-No-W-11031/87/2015-Water, Dated-27.04.2016 and ISM Aug 2017) में उल्लेखित किया जाता रहा है। अतः इस पद पर मानव बल रखने हेतु कार्यकारी समिति से स्वीकृति प्रार्थित है। कंडिका (B) के अनुरूप NPMU/World Bank की पूर्वानुमति प्राप्त कर कार्रवाई करे।	**Contract Management Specialist** की नियुक्ति की जा चुकी है।	कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से चयनित एवं Wait listed अभ्यर्थियों की सूची एवं इनके चयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के Criteria जो तत्कालीन प्रधान सचिव के द्वारा संचिका में अनुमोदित किया गया है, उक्त पर कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

वर्तमान बैठक की कार्यवाही बिन्दु :–

प्रस्ताव सं0	बैठक का एजेण्डा	लिए गए निर्णय।
2	**भविष्य में जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई एवं राज्य**	कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति बनाकर TOR का पुनरीक्षण किया जाय। समिति में निदेशक, नीर निर्मल परियोजना

	परियोजना प्रबंधन ईकाई के रिक्त पदों को भरने हेतु वर्तमान TOR के पुनरीक्षण की स्वीकृति।	की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, PMU, Wash Specialist युनिसेफ एवं कार्यपालक अभियंता, राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई समिति के सदस्य होगें।
3	बैच–2 के Single Village Scheme (SVS) योजनाओं का श्रोत उच्चप्रवाही नलकूप (HYDT) का निर्माण कार्य नीर निर्मल परियोजना के निधि से कराये जाने का प्रस्ताव।	इस पर कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बैच–2 में प्रस्तावित सभी SVS योजनाओं के श्रोत निर्माण (HYDT) नीर निर्मल परियोजना के निधि से कराई जाय।
4	वित्तीय वर्ष 2016–17 को अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन।	कार्यकारी समिति को सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 का अंकेक्षण प्रतिवेदन संबंधित अंकेक्षक से प्राप्त हो गया है जिसे सभी सदस्यों को Presentation के दौरान दिखाया गया। उक्त पर सर्वसम्मति से कार्यकारी समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 का अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुमोदित किया गया।
5	राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई में कार्यरत कर्मियों का वार्षिक वेतन वृद्धि के सबंध में।	कार्यकारी समिति को सूचित किया गया कि राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई में वर्तमान में कार्यरत कर्मियों का Appraisal निर्धारित समिति के द्वारा कर लिया गया है साथ ही कार्यकारी समिति से Appraisal के आलोक में वार्षिक वेतन वृद्धि अधिकतम 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। उक्त पर कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि SPMU में संविदा पर कार्यरत कर्मियों का इनके कार्य के Appraisal के आधार पर इनकी संविदा अवधि का विस्तार किया जाय तथा Appraisal के आधार पर Appraisal Committee इनके TOR के विरूद्ध किए गए कार्यो का आकलन कर वेतन वृद्धि के सबंध में अनुशंसा करेगी। तदोपरान्त आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
6	बैच–1 से बैच–2 में स्थानांतरित की गई MVS योजनाओं के लिए निविदा के पूर्व निर्धारित CAPEX Collection के सबंध में	कार्यकारी समिति को सूचित किया गया कि बैच–1 से बैच–2 में स्थानांतरित की गई कुल 7 MVS का भारत सरकार के निर्देशानुसार निविदा के पूर्व निर्धारित CAPEX का 10 प्रतिशत Collection किया जाना है। उक्त पर कार्यकारी समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि SPMU में कार्यरत पदाधिकारियों एवं विशेषज्ञों को सबंधित MVS के एक–एक जिला का दायित्व दिया जाय ताकि जिला में जाकर DPMU विशेषज्ञों को लक्ष्य प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करें जिससे निर्धारित Capex Collection किया जा सके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि योजनाओं के निर्धारित Capex Collection के लक्ष्य को DPMU के विशेषज्ञों के बीच योजनाओं के दायित्वों का बँटवारा करते हुए इनके मासिक मानदेय से Link किया जाय। इस कार्य की नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा किया जायेगा तथा इसकी सूचना प्रत्येक सप्ताह राज्य मुख्यालय को देगें।
7	जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई में कार्यरत विशेषज्ञों को बैच–2 में ली गई योजनाओं की अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं निगरानी हेतु दायित्व का	कार्यकारी समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई में कार्यरत कर्मियों के बीच बैच–1 एवं बैच–2 योजनाओं के अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं निगरानी हेतु दायित्वों का बँटवारा कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा किया जायेगा। जिसमें योजनाओं के Capex Collection, निविदा से लेकर कार्य पूर्ण होने तक तथा O&M

	बॅटवारा के सबंध में	का DPMU कर्मियों द्वारा समयबद्व अनुश्रवण किया जा सके।
8.	**नीर निर्मल परियोजना के प्रशिक्षण कार्यो के लिये विश्वा को नामित करने के संबंध में।**	कार्यकारी समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि नीर निर्मल परियोजना के प्रशिक्षण कार्यो के लिये विश्वा को नामित किया जाय साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई का कार्यालय यथाशीघ्र पूर्व में दिये गये निर्देश के आलोक में स्थानांतरित करें तथा Extra Furniture इत्यादि विश्वा रॉची को उपलब्ध करा दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(कुमार प्रेमचंद)
Wash Specialist
यूनिसेफ
राँची, झारखण्ड

(जागो चौधरी)
अवर सचिव
योजना सह वित्त विभाग,
झारखण्ड सरकार

(रामाशंकर)
उपसचिव, राजस्व, निबंधन
एवं भूमि सुधार विभाग
झारखण्ड सरकार

(स्वेताभ कुमार)
मुख्य अभिन्यता सह कार्यकारी
निदेशक,पी0 एम0 यू0
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
झारखण्ड सरकार

(दिनेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव सह निदेशक, ग्रामीण
जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
झारखण्ड सरकार

(आराधना पटनायक)
सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
झारखण्ड सरकार

ज्ञापांक –JSWSMS/WB/EC-53/2014- 29 राँची/ दिनांक – 17.1.18

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त–सह–योजना विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ समर्पित।

2. निदेशक पंचायती राज विभाग विभाग, झारखण्ड सरकार/मुख्य अभियन्ता सह कार्यकारी निदेशक, पी0एम0यू0, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार/ Unicef Project Officer, Water Supply and Sanitation, Ranchi को सूचनार्थ प्रेषित।

3. सचिव के आप्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

17.01.18

(दिनेश कुमार सिंह)
उपाध्यक्ष–सह–सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति
झारखण्ड राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सोसाईटी (JSWSMS)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।